FORM NO III

APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आ-त्वरित रिमाण्ड

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर २९.१.१९

छोटू पुत्र जीवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर व अन्य

किस्म मुकदमा 225 R.T.A. नम्बर 00028 सन् 2019 ( )

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री अनिल शर्मा एड. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.1.2019	यह अपील श्री अनिल शर्मा एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 18.05.2017, प्रकरण संख्या 24/2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को रिजर्व रखते हुए, दर्ज रजिस्टर की जावें। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर हों। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।. अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 18.05.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2018 नियत की गई । अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 18.05.2017 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चुॅकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते जवाब अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हेतु नियत हैं। उक्त अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना हैं। न्यायहित में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक	

न्यायालय
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1

28/19/22 छोटू पुत्र जीवण बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री अनिल शर्मा (प्र.) श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार --	व्यथता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक विवादित आराजी चौसाला खसरा नम्बर 442 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के वर्किंग खसरा नम्बर 459 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व 2998 रकबा 0.59 हैक्टर वाकै ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण हो जाने पर न्यायालय हाजा के आदेश निःप्रभावी रहेगें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। सदस्य राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	